

## विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 7 जून, 2019 (ज्येष्ठ 17, 1941)

क्रमांक 6795/मप्रविस-15/विधान/2019—राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 7 जून, 2019 सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 8 जुलाई, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भोपाल में समवेत होने के लिए आरंत्रित करती हूँ।

भोपाल :  
दिनांक : 7 जून, 2019

आनंदीबेन पटेल  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

क्रमांक 6796/मप्रविस-15/विधान/2019

भोपाल, दिनांक 7 जून, 2019 (ज्येष्ठ 17, 1941)

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित:—

मध्यप्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्य;

मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, भोपाल;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव, भोपाल;

समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश;

समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;

महालेखाकार, मध्यप्रदेश, गवालियर;

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल;

जिला दण्डाधिकारी, भोपाल;

समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;

उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल रेंज;

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क), भोपाल संधारण संभाग-एक, भोपाल;

महासचिव, लोक सभा, नई दिल्ली;

महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली;

भारत के समस्त विधान मंडलों के प्रमुख सचिव/सचिव;

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001.

सचिव, भारत सरकार, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली; और

सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 90-संसद् भवन, नई दिल्ली.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.